**न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पूर्वोत्तर रेलवे,लखनऊ**

**दिनांक: 11—10—22**

आवेदक / अभि**युक्त गजेन्द्र सिंह चौहान** द्वारा मु0अ0सं0— **754 / 2022**, धारा— **143** रेलवे अधिनियम ,थाना— आर0पी0एफ0 पोस्ट **सिटी** में जमानत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनांक 11—10—2022 से न्यायिक अभिरक्षा मे है।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवॅ सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से मामले के तथ्यों एवॅ परिस्थितियों में उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है।

**आदेश**

आवेदक / अभि**युक्त गजेन्द्र सिंह चौहान द्वारा बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंध—पत्र एवॅ समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।**

**(प्रशान्त मिश्रा),**
**अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**पूर्वोत्तर रेलवे,लखनऊ**